

बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

बदहाल थर्मल परसिंपत्तियों देश के लिये हमेशा से चिंता का विषय रही हैं। सरकार ने इन पावर परियोजनाओं की स्थिति को सुधारने तथा ऐसी परसिंपत्तियों के समाधान के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे तथा यह समिति अधिकार संपन्न होगी।
- इस समिति में रेल मंत्रालय, बजिली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा ऐसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्होंने बजिली क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश किया है या इस क्षेत्र का अनुभव रहा है।
- यह समिति थर्मल पावर सेक्टर में व्याप्त विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और उन मुद्दों का हल ढूँढने के साथ ही निवेश को अधिकतम करने के लिये कदम उठाएगी।
- समिति द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं : ईंधन आवंटन नीति में बदलाव, नियामकीय संरचना, बजिली की बिक्री सुविधा के लिये तंत्र, भुगतान सुरक्षा तंत्र, दवाला और दवालायामन संहिता (IBC), परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनी (ARC) नियम और तनावग्रस्त परसिंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित अन्य उपाय, ताकि इन निवेशों को NPA बनने से रोका जा सके।